

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,  
नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।  
अधीक्षक,  
प्रभावती अस्पताल, गया।

पटना, दिनांक-19/03/2018

विषय:- प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210051050012 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विद्युत प्रभार, संविदा सेवायें एवं छात्रावृत्ति/वजीफा मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 86,71,000/- (रुपये छियासी लाख एकहत्तर हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निम्नांकित शीर्ष/उप शीर्ष अन्तर्गत प्रशिक्षण नर्स को विपत्र कोड-20-2210051050012 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार विद्युत प्रभार, संविदा सेवायें एवं छात्रावृत्ति/वजीफा मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 86,71,000/- (रुपये छियासी लाख एकहत्तर हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक-06.05.06, 96/वि०(2) दिनांक-09.01.08 सह-पटित संकल्प संख्या-2190/वि०(2) दिनांक-17.03.08, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक-18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना एवं अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।


4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 105-एलोपैथी-0012-प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210051050012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।



6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
9. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

  
19/13/18


(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/प्र0नर्स-03/2017-114(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-19/10/2018  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
19/13/18

सरकार के विशेष सचिव

प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड--20--2210051050012 में वित्तीय वर्ष 2017--18 हेतु राशि का अतिरिक्त आवंटन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रथमिक ईकाई	संयुक्त बजट उपबंध	पूर्व का कुल संयुक्त उपबंध	वृत्तीय अनुपूरक आगमन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का संयुक्त कुल आवंटन	नामोंकेअनुसार, पटना को वर्तमान आवंटन	प्रभावहीन अस्पताल, गया को वर्तमान आवंटन	वर्तमान संयुक्त आवंटन	कुल संयुक्त आवंटन	शेष राशि
0012.13.04 विद्युत प्रभार	110000	310000	500000	810000	310000	0	500000	500000	810000	0
0012.28.02 सचिवा सेवायें	15000000	15000000	5430000	20430000	13595000	5430000	0	5430000	19025000	1405000
0012.34.01 छात्रवृत्ति / वजीफा	32500000	32500000	2741000	35241000	32500000	1241000	1500000	2741000	35241000	0
कुल योग--	47610000	47810000	8671000	56481000	46405000	6671000	2000000	8671000	55076000	1405000

(रुपये छियासी लाख एकहत्तर हजार)

114(1) प्र  
19-03-2018

सरकार के विशेष सचिव

19/3/18